

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 26/2021

अनवान : -

1. राजबाला पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

- सायल

बनाम्

1. सुभाष पुत्र सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता सायलान

निर्णय


दिनांक: 05/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 300/300 की कुल 3.0530 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है।

उक्त भूमि सायला की पैतृक दादालाई भूमि है जिसमें गैरसायल स0 1 ने जालसाजी करके वारिस प्रमाण पत्र में सायला व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 का नाम छिपाते हुए कुल 7 वारिसों के स्थान पर 5 वारिस अंकित करवाकर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि सायला के पिता कुम्भाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि सायला के नाम भी दर्ज होनी थी लेकिन अप्रार्थी स0 1 ने उक्त भूमि अनुचित तरीके से अपने नाम करवा ली। भूमि वर्तमान में अप्रार्थी स0 1 अकेले के नाम दर्ज होने से अप्रार्थी भूमि का बेचान करना चाहता है जिससे सायला को अपूर्णिय क्षति होगी अतः अप्रार्थी विरुद्ध ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे की उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 300/300 की कुल 3.0530 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 का सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 उपस्थित नहीं अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर



बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।


हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावे क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थीया के के नाम दर्ज रही है और उनकी फौतदगी के बाद अप्रार्थी संख्या 1 जो की प्रार्थीया का भाई है के नाम दर्ज हुई है अर्थात् विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। प्रार्थीया का कथन है कि उक्त भूमि विरासतन अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज हुई जबकि उक्त भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा था लेकिन अप्रार्थी स0 1 ने अनुचित तरीके से यह भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन- सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरुद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।


3. अपूर्णीय क्षति- अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्त्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।


उपसुपड अधिकारी
बोहर

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्ण्य क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 300/300 की कुल 3.0530 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक...05/02/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर